

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 207/2017

वादीगण-

1. हुक्माराम पुत्र सोहनलाल  
जाति आचारी, निवासी डेह, तहसील जायल, जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. श्रवणराम
2. मायाराम
3. सन्तोष
4. मन्जू पुत्र एवं पुत्रिया प्रहलादराम
5. कमला पत्नी प्रहलादराम
6. निर्मल
7. कपिल पुत्र उगाराम, समस्त जातियान आचारी, निवासी डेह, तहसील-जायल,  
जिला-नागौर।
8. तहसीलदार जायल

स्थिति :-

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता व गोविन्दराम ढाका प्रतिवादी संख्या 1 से 7
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका व प्रतिवादी संख्या 8 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि -  
वादीगण का वाद अधीन धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 15 में वादी हुक्माराम को खातेदार घोषित किया जाता है  
या तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3379 दिनांक 25.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) के आधार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है जो कि निर्णय का एक भाग है।

1. वादी संख्या 1 हुक्माराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 15 रकबा 16.06 में खातेदार घोषित किया जाता है।
2. मुताबिक वादपत्र पैरा संख्या 2 के ख अनुसार शेष खेताय यथावत प्रतिवादीगण रखा गया है।

(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-नागौर